ई-रिक्शा से पालिका वसूलेगी लाइसेंस शुल्क

सड़कों पर फर्राटा भरता ई-रिक्शा। जागरण

- जागरूकता अभियान चलाकर लाइसेंस बनाने की कर रहा अपील
- 500 रुपए सालाना लाइसेंस शुल्क का निर्धारण बोर्ड ने किया

फतेहपुर, जागरण संवाददाता : जिस तरह से मानव श्रम द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शों से पालिका शुल्क वसूलती आई है अब नए तर्ज के ई-रिक्शा भी लाइसेंस शुल्क के दायरे में ले लिए गए हैं। पालिका के बोर्ड ने ई-रिक्शा मालिकानों से लाइसेंस शुल्क लिए जाने को हरी झंडी दे रखी है। पालिका प्रशासन ने बोर्ड के निर्णय को लेकर जागरूकता अभियान चला दिया है। ई-रिक्शा के लिए भले ही सहायक संभागीय परिवहन विभाग (एआरटीओ) में पंजीकरण न कराने की राहत मिल रही हो लेकिन शहर भ्रमण के लिए उन्हें पालिका प्रशासन की दरकार होगी। पालिका बोर्ड के सभासदों ने बैठक में आय बढ़ाने के लिए ई-रिक्शा को लाइसेंस के दायरे में लाने को हरी झंडी दी। लाइसेंस के एवज में इन्हें 500 रुपए प्रति वर्ष देना पड़ेगा। बोर्ड के निर्देश को पालन में पालिका प्रथम चरण में जागरूकता अभियान चलाने के लिए टीम नियुक्त की है। लाइसेंस का प्रकरण विवाद का कारण न बने इसके लिए ई-रिक्शा चालकों को लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी रश्मि भारती ने बताया कि ई-रिक्शा लाइसेंस बनाने के लिए बोर्ड में निर्णय लिया गया है। पहले मानव श्रम से खींचे जाने वाले रिक्शों से शुल्क लिया जा रहा है। इसलिए नए आदेश के मुताबिक ई-रिक्शा से भी शुल्क लिया जाएगा। फुटपाथ, सड़क, सफाई का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है इसलिए लाइसेंस शुल्क के दायरे में लिया गया है।